



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032021-225726
CG-DL-E-09032021-225726

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21, 2020/चैत्र 1, 1942 (शक) [खंड LVI
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21, 2020/CHAITRA 1, 1942 (SAKA) [VOL. LVI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

fof/k vkj U; k; ea=ky;
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020/1 चैत्र, 1942 (शक)

दि कांस्टीट्यूशन (वन हंडरेड एंड फोर्थ अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और यह भारत का संविधान के अनुच्छेद 394क के अधीन उसकी हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, March 21, 2020/Chaitra 1, 1942 (Saka)

The following translation in Hindi of the Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under article 394A of the Constitution of India:—

संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019

[21 जनवरी, 2020]

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह 25 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगा ।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में,—

अनुच्छेद 334 का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना”;

(ख) खंड (क) और खंड (ख) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में “सत्तर वर्ष” शब्दों के स्थान पर “खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

राम नाथ कोविन्द,
राष्ट्रपति ।

डा० जी० नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार ।